

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2977/18/25]

? (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2978/18/25]

- (3) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2979/18/25]

- (5) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2980/18/25]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2981/18/25]

- (9) (एक) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2982/18/25]

- (11) (एक) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2983/18/25]

- (13) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2984/18/25]

? (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सर्राफा बाजार) विनियम, 2025, जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/001 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/एनआईसीसीएल/नवीकरण/2025-26, जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो, उसमें उल्लिखित, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता का 29 मई, 2025 से शुरू होकर 28 मई 2028 तक तीन वर्षों के लिए नवीकरण किए जाने के बारे में है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2024/012 जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें

दिनांक 18 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/ जीएन/2024/012 का शुद्धिपत्र शामिल है।

- (चार) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/एनएसई-आईएफएससी/नवीकरण/2025-26 जो दिनांक 2 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो, उसमें उल्लिखित, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता का 29 मई, 2025 से शुरू होकर 28 मई, 2028 तक तीन वर्षों के लिए नवीकरण किए जाने के बारे में है।
- (पाँच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 13 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/002 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (केवाईसी पंजीकरण एजेंसी) विनियम, 2025, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/004 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2025, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईएफएससीए/जीएन/2025/003 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2985/18/25]

- (2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अनूतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.: एएक्स1/एसटी/ओएसआर/01/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीओ:एचसीएम:आईआरपी:2025-26:51 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/25-26 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पंजाब एवं सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/एचआरडी/ ओएसआर/2025-26/1 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ईएसटी/2025-26/25 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2986/18/25]

- (3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सिक्का निर्माण (न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.249(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिक्का निर्माण (भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 250(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिक्का निर्माण (सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिए जाने के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सिक्का निर्माण (पंथ रतन स्वर्गीय श्री गुरचरण सिंह तोहरा की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सिक्का निर्माण (श्री रामानाश्रमम शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2987/18/25]

(छह) सिक्का निर्माण (अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सिक्का निर्माण (आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 27 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.429(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सिक्का निर्माण (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 8 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.457(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सिक्का निर्माण (प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सिक्का निर्माण (मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सिक्का निर्माण (राजभाषा विभाग के स्वर्णजयंती समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025, जो दिनांक 25

जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2988/18/25]

- (4) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2989/18/25]

- (5) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दबावग्रस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि, मुंबई पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2990/18/25]

- (6) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.470(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर निर्यातक का नाम "शांडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड" से संशोधित कर "शांडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.471(अ) जो दिनांक 15 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा जो व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर निर्यातक का नाम "शांडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड" से संशोधित कर "शांडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेंट्स कंपनी

लिमिटेड" करने के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) मिश्रणों, जिसमें 407 और 410 के अलावा सभी मिश्रणों को बाहर रखा गया है, पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने के बारे में है" तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.479(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम समीक्षा निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित "एयरलाइन" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2991/18/25]

(7) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 477(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 481(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) निर्यात प्रविष्टि (लिखत आधारित योजना के संबंध में निर्यातोपरांत रूपांतरण) विनियम 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1608(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयातित माल (ट्रांसशिपमेंट की शर्तों) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन), विनियम, 2025, जो दिनांक 31 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 362(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.1210(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.1517(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, पीतल-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2992/18/25]

(नौ) डाक आयात विनियम, 2025, जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1516(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1607(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ.1668(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ.1726(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.1841(अ) जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेरह) का.आ.1947(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का.आ.2198(अ) जो दिनांक 15 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) का.आ.2438(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ.2557(अ) जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) का.आ.2632(अ) जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का.आ.2901(अ) जो दिनांक 30 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, स्वर्ण, चांदी, पीतल-स्क्रेप और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2993/18/25]

(8) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 23(आर)/(6)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2549(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 19 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 28 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या एफईएमए 10(आर)/(6)/2024-आरबी में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (छठा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2994/18/25]

(9) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि.129(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना के स्तंभ 3 में उल्लिखित तारीख को उक्त अधिसूचना के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.174(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2995/18/25]

- (10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

- (ग्यारह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 9 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) का.आ.2954(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सोलह) का.आ.3268(अ) जो दिनांक 17 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 2996/18/25]

- (11) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गांधी नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2997/18/25]

- (12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2998/18/25]

- (13) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
:-

- (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो दिनांक 9 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/05/1/0025/2017-एचआर में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025 जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/01/0001/2023-विधिक में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2999/18/25]

- (14) डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन, मुंबई के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 3000/18/25]

- (15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.03.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में 01.01.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि का परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3001/18/25]

- (16) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3002/18/25]

- (17) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की अर्धवार्षिक समीक्षा के विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों को पूर्ण करने में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3003/18/25]

? (व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे): महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा (संशोधन) योजना, 2025 जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं। ? (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 3004/18/25]

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ? उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

- (एक) का.आ.1721(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र श्री लंकामल्लेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ.1567(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ.17(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ.5348(अ) जो दिनांक 11 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रोलापडू वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पाँच) का.आ.1457(अ) जो दिनांक 26 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का.आ.5510(अ) जो दिनांक 20 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का.आ.5383(अ) जो दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) का.आ.2124(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.1334(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.1111(अ) जो दिनांक 10 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से 8.3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 3005/18/25]

(ग्यारह) का.आ.1797(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ.1375(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.185(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.1570(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.2413(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ.1575(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.2996(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.1506(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.1507(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 मई, 2016 की

अधिसूचना संख्या का.आ.1653(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

|

(सत्रह) का.आ.1611(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

|

(अठारह) का.आ.1559(अ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.1865(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

|

[Placed in Library, See No. LT 3006/18/25]

(उन्नीस) का.आ.2136(अ) जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में हॉलिडे द्वीप वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ.2125(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 102(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.191(अ) जो दिनांक 10 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.3100(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.1612(अ) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1942(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

|

(तेईस) का.आ.1174(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1485(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

|

(चौबीस) का.आ.1640(अ) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2149(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(पच्चीस) का.आ.148(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3308(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(छब्बीस) का.आ.704(अ) जो दिनांक 11 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3516(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(सत्ताईस) का.आ.5534(अ) जो दिनांक 23 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 436(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 3007/18/25]

(अट्ठाईस) का.आ.1795(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2404(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(उनतीस) का.आ.2356(अ) जो दिनांक 27 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में ताल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0 किलोमीटर से 3.26 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है ।

(तीस) का.आ.1722(अ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1176(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(इकतीस) का.आ. 1990(अ) जो दिनांक 2 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 1701(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ.1173(अ) जो दिनांक 13 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ.1377(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चाँतीस) का.आ.556(अ) जो दिनांक 31 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.491(अ) जो दिनांक 27 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2029(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3008/18/25]

(छत्तीस) का.आ. 5494(अ) जो दिनांक 19 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2148(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ. 1122(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ. 855(अ) जो दिनांक 17 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2733(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का.आ. 1942(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2993(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ.115(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3084(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का.आ.5226(अ) जो दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर एक पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ.2485(अ) जो दिनांक 4 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 4.30 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें भूकर सर्वेक्षण संख्या को न्यूनतम इकाई के रूप में रखा गया है।

(तैंतालीस) का.आ.597(अ) जो दिनांक 3 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4031(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3009/18/25]

(चवालीस) का.आ.288(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4027(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (पैंतालीस) का.आ.5468(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2811(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छियालीस) का.आ.1674(अ) जो दिनांक 8 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सैंतालीस) का.आ.1235(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2605(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तालीस) का.आ.1515(अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3028(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनचास) का.आ.5471(अ) जो दिनांक 18 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पचास) का.आ.1357(अ) जो दिनांक 21 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 837(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्यावन) का.आ. 1594(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1603(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बावन) का.आ.1593(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 1565(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का.आ.324(अ) जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1752(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3010/18/25]

(चौवन) का.आ.1335(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचपन) का.आ.5441(अ) जो दिनांक 16 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3249(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का.आ.5293(अ) जो दिनांक 9 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 654(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतावन) का.आ.5397(अ) जो दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3030(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ.1595(अ) जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3310(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का.आ. 1932(अ) जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1816(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का.आ.1794(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2942(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का.आ.5323(अ) जो दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.10 किलोमीटर से 8.7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य और गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(बासठ) का.आ. 150(अ) जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2480(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3011/18/25]

(तिरसठ) का.आ. 1337(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2277(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंसठ) का.आ. 1092(अ) जो दिनांक 5 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3597(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का.आ. 1816(अ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 350(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 1476(अ) जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2017 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 839(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं

।

(सड़सठ) का.आ. 5377(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1568(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का.आ. 1238(अ) जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनहत्तर) का.आ. 1913(अ) जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4047(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का.आ.875(अ) जो दिनांक 19 फरवरी, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(इकहत्तर) का.आ. 239(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बहत्तर) का.आ. 4530(अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2167(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3012/18/25]

(तिहत्तर) का.आ. 316(अ) जो दिनांक 17 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 27 अगस्त, 2014

की अधिसूचना संख्या का.आ. 2168(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 621(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2169(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का.आ. 4246(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2170(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छिहत्तर) का.आ. 445(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 445(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का.आ. 4245(अ) जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2172(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अटहत्तर) का.आ. 1333(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2171(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनासी) का.आ. 1380(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2172(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अस्सी) का.आ. 100(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2173(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यासी) का.आ. 443 (अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3596(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयासी) का.आ. 4702(अ) जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 05 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1432(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3013/18/25]

(तिरासी) का.आ. 2681 (अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1698 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का.आ. 4548(अ) जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचासी) का.आ. 290(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3859(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासी) का.आ. 2028(अ) जो दिनांक 6 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1566(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतासी) का.आ. 2354(अ) जो दिनांक 18 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2262(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठासी) का.आ. 2143(अ) जो दिनांक 29 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं
।

(नवासी) का.आ.5132(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 17.0 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(नब्बे) का.आ. 3013(अ) जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यानवे) का.आ. 1336(अ) जो दिनांक 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 840(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बानवे) का.आ. 2126(अ) जो दिनांक 13 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2125(अ) द्वारा भारत सरकार के आदेश को रद्द किया गया है।

(तिरानवे) का.आ. 1377(अ) जो दिनांक 25 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (नब्बे) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3014/18/25]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पर्यावरण संरक्षण (जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहन) नियम, 2025, जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.98(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 24 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.958(अ) में प्रकाशित हुए।
- (तीन) का.आ.5210(अ), जो दिनांक 3 दिसंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन), संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.438(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 22 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 3 जुलाई 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 26 जुलाई 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 3015/18/25]

- (5) (एक) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3016/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Silchar, Cachar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Silchar, Cachar, for the year 2023-2024.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3017/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 3018/18/25]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Palakkad, Palakkad, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Palakkad, Palakkad, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Palakkad, Palakkad, for the year 2023-2024.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 3019/18/25]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Kozhikode, Kozhikode, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of

Management Kozhikode, Kozhikode, for the year 2023-2024.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 3020/18/25]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Jammu, Jammu, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Jammu, Jammu, for the year 2023-2024.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 3021/18/25]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Classical Tamil, Chennai, for the year 2023-2024.

- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 3022/18/25]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Book Trust, India, New Delhi for the year 2023-2024.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Book Trust, India, New Delhi for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Book Trust, India, New Delhi for the year 2023-2024.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 3023/18/25]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Bhopal, Bhopal for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Bhopal, Bhopal, for the year 2023-2024.
- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 3024/18/25]

? (*Interruptions*)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) :
सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

- (1) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी123 में प्रकाशित हुए थे।

- (2) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी124 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटर्स के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी125 में प्रकाशित हुए थे।
- (4) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 19 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी126 में प्रकाशित हुए थे।
- (5) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी127 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईबीबीआई/2025-26/जीएन/आरईजी128 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3025/18/25]